# सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग - उत्तर प्रदेश
# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड–द्वितीय, राबर्ट्सगंज सोनभद्र
## बंधियों में मत्स्य आखेट की नीलामी सूचना 02/ई0ई0/2017–18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से निम्न बंधियों में मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी पद्धति से दिये जाने के लिए सार्वजनिक नीलामी दिनांक 08.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक निरीक्षण भवन सिंचाई कालोनी बढ़ौली राबर्ट्सगंज, सोनभद्र पर करायी जायेगी, जिन बंधियों पर बोलीकर्ताओं द्वारा बोली नहीं बोली जायेगी उन बंधियों को नीलामी पुनः उक्त स्थान पर दिनांक–15.09.2017 को पूर्व निर्धारित व समय पर की जायेगी।

| क्र0 सं0 | बंधी का नाम | विकास खण्ड का नाम | जनपद का नाम | बयाने की धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बभनी बंधी | बभनी | सोनभद्र | 28000.00 |
| 2. | दुम्हान बंधी | दुद्धी | सोनभद्र | 4000.00 |
| 3. | रजखड़ बंधी | दुद्धी | सोनभद्र | 28000.00 |
| 4. | म्योरपुर बंधी | म्योरपुर | सोनभद्र | 31500.00 |
| 5. | फुलवार बंधी | दुद्धी | सोनभद्र | 1500.00 |

**नीलामी की मुख्य शर्तेः-**

1– मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ठेकेदार को प्रत्येक बंधी की बोली–बोलने के पूर्व प्रत्येक बंधी की अलग–अलग बयाने की धनराशि जमा करनी होगी। बिना बयाने की धनराशि के किसी भी बोलीदाता को बोली बोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। यदि अधिकतम बोली बोलकर कोई समिति/ठेकेदार ठेका लेने से भाग जाता है तो उसकी बयाने की धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

2– नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्य/ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर (जो किसी भी कार्यालय दिवस पर बंधी प्रखण्ड–द्वितीय, राबर्ट्सगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है) अनिवार्य रूप से चरित्र प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो, बोली बोलने से पूर्व नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

3– बंधियों की नीलामी उपरोक्त अंकित क्रम के अनुसार 3 वर्ष के ठेके हेतु एक साथ बोली करायी जायेगी। एक बंधी की नीलामी की बोली समाप्त हो जाने पर उस बंधी की दोबारा नीलामी की बोली नहीं करायी जायेगी।

4– मत्स्य आखेट हेतु नीलामी 03 वर्ष के लिए की जायेगी। ठेके की प्रथम वर्श की अवधि ठेका स्वीकृत के दिनांक से प्रारम्भ हो कर 30, जून 2020 तक के लिए होगी। प्रथम वर्श की अवधि 1 जूलाई 2017 से 30 जून 2018 तक तथा द्वितीय वर्श की अवधि 1 जूलाई 2018 से 30 जून 2019 तक के लिए होगी। तृतीय वर्श की अवधि 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के लिए होगी। तीन वर्श की अवधि समाप्त होने पर ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– नीलामी में सबसे अधिकतम बोली लगाने वाले समिति के सदस्य/ठेकेदार को सक्षम अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड–द्वितीय राबर्ट्सगंज सोनभद्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेका स्वीकृत किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड–द्वितीय राबर्ट्सगंज सोनभद्र द्वारा अधिकतम बोली के होते हुए भी उच्चतम बोली कम है, तो ठेका अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

**6**— समिति / ठेकेदार को ठेके की अवधि की नीलामी धनराशि का 05 प्रतिशत बतौर जमानत धनराशि सिंचाई विभाग के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 06 माह उपरान्त जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

**7**— मत्स्य पालन / आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाली समिति / ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। प्रथम वर्ष की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि ठेका स्वीकृत होने के 01 माह के अन्दर जमा करनी होगी। समिति / ठेकेदार को दो वर्शो की ठेके की वार्षिक धनराशि का 1 / 4 भाग 15 जून तक, 1 / 2 भाग 15 सितम्बर तक एवं 1 / 2 भाग 31 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा।

**8**— अनुबन्ध के समय मत्स्य जीवी सहकारी समिति / ठेकेदार द्वारा उचित मूल्य के स्टैम्प पर अनुबंध पत्र भरा जायेगा। स्टैम्प शुल्क संबंधित ठेकेदार / समिति द्वारा देय होगा। ठेकेदार द्वारा ठेका स्वीकृत होने के उपरान्त एक माह के अन्दर निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसकी बोली निरस्त मान ली जायेगी ।

**9**— समिति / ठेकेदार को शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रतिबंधित साइज / भार डेढ़ किलोग्राम से कम की मछली नहीं निकाली जा सके। 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक जलाशय में शिकारमाही पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगी। बंधी में बोली स्वीकृत होने के उपरान्त मत्स्य पालन / आखेट में किसी कारणवश मत्स्य पालन / आखेट में नुकसान होने तथा बंधी में पानी के घटने–बढ़ने पर किसी भी प्रकार का दावा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर विभाग द्वारा मान्य नहीं होगा, न तो किसी प्रकार का मुआवजा दिया जायेगा। ठेकेदार स्वयं अपनी देख–रेख करेगा।

**10**— जिन समितियों / ठेकेदारों पर बकाया वसूली चल रही है, उनको बोली बोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

**11**— नीलामी की अन्य शर्तें नीलामी की बोली प्रारम्भ होने से पूर्व समिति / ठेकेदारों को सुनायी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
बन्धी प्रखण्ड द्वितीय
राबर्ट्सगंज - सोनभद्र